पत्रांक–10/न4-07/2004................/
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र,2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक–............................/

विषयः– रिजनल सेकण्ड्री स्कूल, जीवछ चौक के निकट, सपटा, मधुबनी को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबंद्ध करने हेतु विभागीय अनापत्ति पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि रिजनल सेकण्ड्री स्कूल, जीवछ चौक के निकट, सपटा, मधुबनी को पूर्व में विभागीय पत्रांक 702 दिनांक–22.10.05 के द्वारा अनापत्ति निर्गत किया गया था। उक्त विद्यालय के द्वारा विभाग को आवेदन दिया गया है कि उनका विद्यालय जीवछ चौक सपटा, मधुबनी में अपने भूमि पर निर्मित भवन में संचालित है। विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.06 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन से पूनः स्थिति की जानकारी देने को कहा गया। तदनुसार विद्यालय के द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी। प्रबंधन के द्वारा पुनः उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी है, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

2. विद्यालय का संचालन निबंधित न्यास **"सोसाइटी फार एडुकेशनल डेवलपमेन्ट, गाँधी चौक, मधुबनी"** के द्वारा किया जाता है। न्यास के शासी निकाय के सदस्यों की सूची दी गयी है, जिसमें उनका पेशा और पता भी अंकित है। यह भी सूचना दी गयी है कि शासी निकाय में किसी एक परिवार का प्रभुत्व नही है तथा उनके बीच आपस में रक्त का संबंध नहीं है।
3. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसायटी/न्यास के फेन्चाईजी के रूप में स्थापित होने अथवा किसी विद्यालय के ब्रैंड नेम का उपयोग नहीं करने का भी दावा किया है।
4. विद्यालय को 2 एकड़ से अधिक भूमि 35 वर्षो की लिज पर उपलब्ध है, जहाँ विद्यालय का अपना भवन निर्मित है जिसमें उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि उपलब्ध होने की सूचना दी गयी है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने निरीक्षण दल से विद्यालय का स्थल निरीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, विद्यालय को सम्बद्धता देगी।
5. विद्यालय में 17 शिक्षक है, जिसमें 11 प्रशिक्षित है। आवेदन के अनुसार विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप समाचार पत्रो में विज्ञापन निकाल कर की गयी है। विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी गयी शिक्षकों की सूची में 6 अप्रशिक्षित है। अतः विद्यालय का दावा की शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है सही नही प्रतीत होती है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि शिक्षकों की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक के अनुरूप हो तथा उनकी नियुक्ति विहित प्रक्रिया अपनाकर की गयी हो।
6. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
7. विद्यालय के अनुसार विद्यालय के लेखा का अंकेक्षण चार्टर एकाउन्टेन्ट के द्वारा प्रतिवर्ष कराया जाता है। विद्यालय के अनुसार इसे शिक्षक/अभिभावको की बैठक में भी उपस्थापित किया जाता हैं।

8. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.06 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्तें स्वीकार हैं। अपेक्षित शर्त्ते के अनुसार :–

(क) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चो का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा। ऐसे बच्चो की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष हो होंगें।

(ख) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० अथवा प्रारम्भिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षायें/साक्षात्कार (बच्चो एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से draw of lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चो का चयन किया जायेगा।

(ग) नर्सरी/के० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चो का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च–प्रारम्भिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(घ) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

9. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा नही किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय इनके द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर संचालित है।

10. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार विभागीय अधिसूचना में उल्लेखित अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तो का पालन किया जा रहा है। विद्यालय को इन शर्त्तो को सार्वजनिक करना होगा तथा इसका उल्लेख विद्यालय के प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा।

11. शर्त्तों के उल्लघंन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

12. उपर्युक्त तथ्यो के आलोक में तथा वर्णित शर्त्तो के आधार पर पूर्व में विभागीय पत्रांक 702 दिनांक 22.10.05 के क्रम में रिजनल सेकण्ड्री स्कूल, जीवछ चौक के निकट, सपटा, मधुबनी को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

13. विद्यालय से प्राप्त आवेदन दिनांक 13.03.07 की छाया प्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 325 /   पटना, दिनांक– 20.4.07/

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, रिजनल सेकण्ड्री स्कूल, जीवछ चौक के निकट, सपटा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/4/07
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।
2017

पत्रांक 10/न4-16/2002मा0-- 702 --:
बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग ।

प्रेषक,

श्री हेमचन्द्र झा
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र, कम्यूनिटी सेन्टर, प्रीत विहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि 29-8-05 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया:-

1.	[illegible] सेकेन्ड्री स्कूल, गांधी चौक मधुबनी	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया ।
2.	डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, रतवार, भभुआ कैमूर ।	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया ।
3.	डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, अशोकनगर, अशोक टाउन हॉल रोड, जमुई	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया ।
4.	डॉन बास्को स्कूल, बी0वी0 पाकड़ दरभंगा ।	इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व विद्यालय में कार्यरत तीन अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षित हो जाएंगे या विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनके स्थान पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी ।
5.	दरभंगा सेन्ट्रल स्कूल, लालगढ़ दरभंगा	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि विद्यालय सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व भवन संबंधी शर्त्त पूरा कर लेगा ।

पी0टी0ओ0

6. आदर्श ज्ञानोदय, स्टेशन रोड, बाढ़, पटना	इस शर्त्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा सी०बी०एस०ई० बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व विद्यालय में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षित हो जायेंगे अथवा उनके स्थान पर प्रबंधन प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी ।
7- मानस विद्यालय ठाकुरबाड़ी रोड जहानाबाद	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय इस शर्त्त पर लिया गया कि विद्यालय सी०बी०एस०ई० बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व भवन संबंधी शर्त्त पूरा कर लेगा तथा विद्यालय के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करा लेगा अथवा उनके स्थान पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगा ।
8- दिनगदर्शन मिशनरी स्कूल, नया रोड, खगौल, बिहटा	अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय इस शर्त्त पर लिया गया कि निर्धारित मापदंड के आधार पर बिहटा में भवन निर्मित कर अथवा बिहटा में ही निर्धारित मापदंड के अनुरूप लीज पर भवन लेकर विद्यालय संचालित करना प्रारम्भ कर दें तथा विद्यालय के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित कर दें अथवा उनके स्थान पर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर लें ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 21/10

(हेमचन्द्र झा)
सरकार के अपर सचिव ।

(कृ०पृ०)

ज्ञापांक-702------------: पटना, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक साल बाद विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा ।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस करने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

(क) विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विलम्ब किया जा रहा हो;

(क्रमशः पृ०-3)

(ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाए जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर ।

(ग) विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए राशि की व्यवस्था हो उसे दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो ।

(घ) विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिससे समाज में विभिन्न संप्रदायों के बीच कटुता पैदा हो ।

(च) सी०बी०एस०ई० मापदंड के अनुरूप भवनों में सी०बी०एस०ई० मापदंड के अनुरूप विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर ।

(हेमचन्द्र झा)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक 702 पटना, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/अपर सचिव/विषय के प्रभारी उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक 702 पटना, दिनांक 22-10-05

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।